#### न्यायालय:— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी:—सिराज अली)

<u>व्यवहार वाद क्रमांक-80ए / 2012</u> संस्थापन दिनांक-02.07.2012

1—इन्द्रोबाई बेवा सुकमन, उम्र 60 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गडारीबहेरा, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—गुरदयाल, पिता सुकमन, उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गडारीबहेरा, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—जुगनता बाई, पिता सुकमन, जौजे चन्द्रसिंह, उम्र 39 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ढ़ीपुर, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

#### विरुद्ध

1—मन्तीबाई बेवा कुंवरसिंह, उम्र 85 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ढ़ीपुर, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—चैतराम पिता गिरवर, उम्र 38 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ढ़ीपुर, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—सन्तलाल पिता गिरवर, उम्र 28 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ढ़ीपुर, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

4—जयवन्ता बाई बेवा गिरवर, उम्र 70 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ढ़ीपुर, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

5—चैताबाई पिता गिरवर, उम्र 30 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—सलघट चूनाटोला, तहसील प्रसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

6—सन्तुला बाई पिता गिरवर, उम्र 24 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—खुरमुण्ड़ी, तहसील प्रसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

7—शिवलाल पिता बजरू, उम्र 63 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—बड़गांव, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

8—धरमलाल पिता बजरू, उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—चूहीटोला, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.) 9—जीवन पिता बजरू, उम्र 55 वर्ष, जाति गोंड, निवासी–बड़गाव, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

10—फग्गोबाई पिता बजरू, उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—कुरवाही, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

11—सुगनबाई पिता बजरू, उम्र 45 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—उमरडीह, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

12—घुडनसिंह पिता साहू सिंह, उम्र 52 वर्ष, जाति गोंड, निवासी–लिंगा, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

13—माहरू पिता दशरू, उम्र 70 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—बडुगांव, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

14-रामूसिंह पिता माहरू, उम्र 35 वर्ष, जाति गोंड, निवासी-बङ्गांव, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

15—रामबती बाई पति हरिशचन्द्र, उम्र 32 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—उमरिया, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

16—रामसिंया पति दिमाकसिंह, उम्र 29 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—तीरगांव, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

# -: / / <u>निर्णय</u> / /:-(आज दिनांक-28/07/2014 को घोषित)

1— वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा ढीपुर, प.ह.न. 8, रा.नि.म. व तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 61, 62 व 82 का रकबा क्रमशः 9.45, 12.80 व 17.30 एकड़ कुल रकबा 39.55 एकड़ भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से सम्बोधित किया जायेगा) पर विरासतन हक के आधार पर 1/2 अंश निर्धारण कर खसरा नम्बर 82 रकबा 17.30 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है।

- 2— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक—1 से 11 एवं प्रतिवादी कमांक—13 से 16 एक ही खानदान के व्यक्ति है। उभयपक्ष के मूल पुरूष मंगलिसंह के दो पुत्र बजरू एवं बीरिसंह थे, जो सभी फौत हो चुके है। बीरिसंह के वारसान वादीगण है तथा बजरू के वारसान प्रतिवादी कमांक—1 से 11 एवं प्रतिवादी कमांक—13 से 16 है।
- 3— वादीगण के अभिवचन स्वीकृत तथ्य छोड़कर संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि मूल पुरूष मंगलसिंह से उसके दोनों पुत्र बजरू एवं बीरसिंह को प्राप्त हुई थी। विवादित भूमि में से 1/2 अंश बीरसिंह के पुत्र सुकमन को प्राप्त हुआ था। सुकमन के फौत होने के उपरांत लगभग 12 वर्ष से सुकमन के वारिस के रूप में वादीगण विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। वादीगण एवं सुकमन की जानकारी के बिना प्रतिवादी कमांक—1 ने बिना विभाजन के विवादित भूमि के खसरा नम्बर 61, 62 में से कमशः 7.20, 12.80 एकड़ भूमि कुल 20 एकड़ भूमि दिनांक—28.09.1993 को प्रतिवादी कमांक—12 को अवैध रूप से विकय कर दिया है। सुकमन को उक्त विकय की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि की शेष बचत 17.30 एकड़ भूमि को वादीगण के हिस्से में होने के आधार पर भविष्य में कोई आपित्त न करने का आश्वासन दिया था। प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक—12.10.2008 को विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वादीगण ने विवादित भूमि पर विशसतन हक के आधार पर बचत खसरा नम्बर 82 रकबा 17.30 एकड़ भूमि पर स्वत्य प्राप्त होने की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा है।
- 4— प्रतिवादी कमांक—1 से 10 व प्रतिवादी कमांक—13 ने संयुक्त रूप से तथा प्रतिवादी कमांक—12 ने पृथक से जवाबदावा प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि सुकमनसिंह ने अपने जीवनकाल में विवादित भूमि में से अपने अंश के बदले पैसा प्राप्त कर गराडीबहेरा में जमीन खरीदी थी, इस कारण विवादित भूमि पर सुकमन का कोई हक व स्वत्व नहीं रहा। विवादित भूमि पर वादीगण कभी भी काबिज काश्त नहीं रहे है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में सुकमनसिंह का

संयुक्त खाते में नाम दर्ज होने के कारण वादीगण विवादित भूमि हडपना चाहते है। वादीगण को सन् 1993 में ही घुड़न के पक्ष में किये गये रिजस्टर्ड विक्रय पत्र की जानकारी हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद अविध बाह्य है। वादीगण को विवादित भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है। अतएव वादीगण का दावा सव्यय निरस्त किया जावे।

- 5— प्रतिवादी क्रमांक—12 ने पृथक से लिखित कथन में यह भी अभिवचन किया है कि उसनें दिनांक—28.05.1993 को प्रतिवादी क्रमांक—1 एवं सभी सह खातेदारों की सहमित से नगद प्रतिफल राशि देकर रिजस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कराकर 20 एकड़ भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, जिसकी जानकारी सभी सह खातेदार को है। प्रतिवादी क्रमांक—12 सद्भाविक क्रेता है। वादीगण ने वाद अवधि बाह्य पेश किया है तथा वाद बिना वाद कारण के पेश किया है। अतः वाद सव्यय निरस्त किया जावे।
- 6— प्रतिवादी क्रमांक—11 व प्रतिवादी क्रमांक—14 से 17 ने जवाबदावा पेश नहीं किया तथा वे प्रकरण में एकपक्षीय है।
- 7— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :--

	A .	スーン
क्रं.	वाद-प्रश्न 🚜 🗸	<b>ि</b> निष्कर्ष
1	क्या मौजा ढीपुर प.ह.न.—8, रा.नि.मं. व तहसील परसवाड़ा में स्थित खसरा नम्बर 61, 62 व 82 का	प्रमाणित
	रकबा कमशः 9.45 एकड़, 12.80 एकड़ व 17.	
	30 एकड़ कुल रकबा 39.55 एकड़ भूमि पर वादीगण को विरासतन हक के आधार पर 1/2	
	अंश का स्वत्व प्राप्त है ?	
2	क्या उक्त विवादित भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक-1	प्रमाणित
	के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक—12 को विक्रय की गई भूमि का प्रतिवादीगण के अंश में से वादीगण मुजरा	
	कराने के हकदार है ?	
3	क्या वादीगण के अंश व हक के भूमि में	प्रमाणित
	प्रतिवादीगण को दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु उनके विरूद्ध वादीगण निषेधाज्ञा प्राप्त करने के	

	हकदार है ?	
4	क्या वादीगण का वाद समयावधि से बाधित है ?	प्रमाणित नहीं
5	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

# नःः <u>सकारण निष्कर्ष</u> ःः— <u>वादप्रश्न क्रमांक ४ का निराकरण</u>

- 8— यह साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है कि वादीगण का वाद समयाविध से बाधित है। वादीगण ने विवादित भूमि पर स्वयं के स्वत्व की घोषणा हेतु वाद कारण दिनांक—12.10.2008 को तब उत्पन्न होना प्रकट किया है जब प्रतिवादीगण द्वारा उसकी खानदानी हक व आधिपत्य की खसरा नम्बर 82 रकबा 17.73 एकड़ भूमि में अवैध रूप से प्रवेश कर वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी। इस प्रकार वादीगण ने विवादित भूमि पर खानदानी एवं विरासतन् हक के आधार पर उक्त वाद कारण प्रकट करते हुए यह वाद पेश किया है।
- 9— वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक—1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक—12 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक—28.05.1993 प्रदर्श पी—1 को चुनौती नहीं दी है बल्कि प्रतिवादी क्रमांक—12 को उक्त विक्रय पत्र के अनुसार विक्रय की गई भूमि को प्रतिवादीगण के अंश में से मुजरा करने का अनुतोष चाहा है। ऐसी दशा में उक्त विक्रय पत्र को चुनौती न दिये जाने से विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्ति की घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद कारण से वादीगण का वाद समयावधि के भीतर पेश किया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि वादीगण का वाद समयावधि के भीतर नहीं है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक—4 'प्रमाणित नहीं' के रूप में निराकृत किया जाता है।

# वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निराकरण

10— उक्त दोनों वादप्रश्नों का सुविधा की दृष्टि से एक साथ निराकरण किया जा रहा है। यह साबित करने का भार वादीगण पर है कि विवादित भूमि पर वादीगण को विरासतन हक के आधार पर 1/2 अंश का स्वत्व प्राप्त है और विवादित भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक—1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक—12 को विक्रय

की गई भूमि का प्रतिवादीगण के अंश में से वादीगण मुजरा कराने के हकदार है। यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 मन्तीबाई ने प्रतिवादी क्रमांक-12 घुडनसिंह को विवादित भूमि खसरा नम्बर 61 व 62 में से रकबा क्रमशः 7.20 व 12.80 कुल 20 एकड़ भूमि का पंजीयत विकय पत्र दिनांक—28.05.1993 के माध्यम से किया है। उक्त विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 है। वादी की ओर से प्रस्तुत पांच साला खसरा फार्म वर्ष 2007-08 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-2, विवादित भूमि के नक्शे की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-3, विवादित भूमि के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954–55 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी–5, विवादित भूमि का खसरा वर्ष 1991–92 से 1994–95 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी–6, किस्तबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-7, अधिकार अभिलेख की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-8, खसरा फार्म 2008-09 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-10 है। इसके अलावा विवादित भूमि के खसरा फार्म व किस्तबंदी की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-12 व प्रदर्श पी–13 है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि उभयपक्ष के मूल पुरूष मंगलिसंह के दो पुत्र बजरू एवं बीरिसंह के नाम पर दर्ज थी। प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-12 घुडनसिंह को विवादित भूमि में से विकय की गई 20 एकड़ भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-12 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

- 11— वादीगण की ओर से प्रतिवादी क्रमांक—12 के द्वारा विवादित भूमि के खसरा नम्बर 61/2 में से रकबा 3.25 एकड़ भूमि का विक्रय बिसतोबाई एवं रकबा 3.25 एकड़ भूमि का विक्रय सुनिता के पक्ष में दिनांक—11.09.2009 को कर दिये जाने के संबंध में विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—15 एवं प्रदर्श पी—16 पेश की गई है। यद्यपि वादीगण ने उक्त विक्रय पत्रों के संबंध में चुनौती पेश नहीं की है तथा विवादित भूमि में से उभयपक्ष की संयुक्त हक की भूमि में से की गई विक्रय की भूमि को मुजरा करने का अनुतोष चाहा है।
- 12— वादी गुरूदयाल (वा.सा.1) ने अपने अभिवचन के अनुरूप मुख्य परीक्षण में कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वर्ष 1993 में विवादित भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक—12 को भूमि विक्रय किये जाने की

जानकारी उसके पिता को होने पर भी उन्होनें न्यायालयीन कार्यवाही नहीं की। साक्षी का स्वतः कथन है कि उनके पिता को जमीन दे दी गई थी। साक्षी का यह भी कथन है कि उसके पिता सुकमन को जमीन का हिस्सा मिल गया था, इसलिए उसने कार्यवाही नहीं की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा बंटवारा करने के संबंध में राजस्व न्यायालय में कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि के खसरा नम्बर 82 में सभी प्रतिवादीगण का नाम शामिल सरीक रूप में दर्ज है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसका कब्जा है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी घुड़न द्वारा खरीदी भूमि पर कोई विवाद नहीं है। साक्षी के कथन का प्रतिवादी पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किये जाने से साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

- वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी सुक्कलिसंह (वा.सा.2), प्रेमिसंह (वा.सा.3) ने वादी के अभिवचन का समर्थन करते हुए अपनी साक्ष्य पेश की है। इन साक्षीगण के कथन का प्रतिवादी पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किये जाने से साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इन साक्षीगण ने अपने कथन में इस तथ्य की पुष्टि की है कि प्रतिवादी क्रमांक—1 ने सभी प्रतिवादीगण की ओर से विवादित भूमि के अपने अंश का विक्रय प्रतिवादी क्रमांक—12 को कर दिया है, जिसके पश्चात् केवल वादीगण का विवादित भूमि के बचत रकवा में आधिपत्य चला आ रहा है।
- 14— प्रतिवादी चैतराम (प्र.सा.1) ने अपने अभिचन के अनुरूप अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण बजरूसिंह के खानदान के है तथा वादीगण बीरसिंह के खानदान के है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर आज भी वादीगण के पिता सुकमन का नाम दर्ज चला आ रहा है और उन लोगों ने सुकमनसिंह का नाम कटवाने के लिए किसी न्यायालय में कोई प्रकरण पेश नहीं किया है। साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि मन्तीबाई द्वारा जमीन बेचने पर उसके पिताजी एवं जैवन्ताबाई ने कोई आपत्ति नहीं की थी।

15— प्रतिवादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में अन्य साक्षी लालचंद (प्र.सा.2), चैनदास (प्र.सा.3), घुड़नसिंह (प्र.सा.4) की साक्ष्य कराई गई। प्रतिवादीगण की ओर से सभी साक्षीगण ने वादीगण के पिता सुकमन के जीवनकाल में ही विवादित भूमि में से हिस्सा प्राप्त कर लिये जाने के अभिवचन किये है। किन्तु प्रतिवादी के उक्त अभिवचन एवं कथन के समर्थन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तातेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से किये गये अभिवचन कि वादीगण के पिता सुकमन ने अपने जीवनकाल में विवादित भूमि का बंटवारा कर हिस्सा प्राप्त कर लिया था, कोरे काल्पनिक एवं मनगंढ़त प्रतीत होते है। उक्त के संबंध में प्रतिवादीगण की मौखिक साक्ष्य भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। वास्तव में प्रतिवादीगण के साथ वादीगण के पिता सुकमन का नाम विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रारम्भ से सह खातेदार के रूप में दर्ज रहा होने से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि में वादीगण के पिता सुकमन का हक व स्वत्व समाप्त नहीं हुआ था।

16— प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट होता है कि वादीगण के पूर्वज बीरिसंह एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज बजरूसिंह को विवादित सम्पत्ति उनके पिता मंगलिसंह के फौत होने के उपरान्त प्राप्त हुई थी। विवादित भूमि के 1/2 अंश में प्रतिवादीगण के पूर्वज बजरूसिंह का हक था तथा शेष 1/2 अंश में वादीगण के पूर्वज बीरिसंह को हक प्राप्त हुआ। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण को केवल बजरूसिंह के 1/2 अंश के बराबर विवादित भूमि पर हक प्राप्त होता हैं तथा शेष 1/2 अंश की भूमि पर बीरिसंह के वारसान के रूप में सुकमन एवं सुकमन की मृत्यु उपरान्त उसके वारसान वादीगण को हक प्राप्त होना प्रकट होता है।

17— प्रकरण में विवादित भूमि को प्रतिवादी क्रमांक—1 के द्वारा विक्रय किये जाने पर प्रतिवादी क्रमांक—12 ने 20 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त किया, उक्त विक्रय पत्र दिनांक—28.05.1993 प्रदर्श पी—1 को किसी भी पक्ष की ओर से चुनौती नहीं दी गई है। प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचन एवं प्रस्तुत साक्ष्य से यह अधिसम्भावना प्रकट होती है कि प्रतिवादी क्रमांक—12 विवादित भूमि में से क्रय

शुदा भूमि में सद्भाविक केता रहा है और वर्ष 1993 में उसके पक्ष में निष्पादित विकय पत्र की जानकारी उभयपक्ष को प्रारंभ से होने से और पश्चात् में उक्त विकय पत्र को चुनौती नहीं दिये जाने से उक्त विकय पत्र विधिमान्य हो चुका है। 18— वादीगण को विवादित भूमि में बीरसिंह के 1/2 अंश का स्वत्व बीरसिंह के वारसान के रूप में प्राप्त है। यद्यपि विवादित भूमि में से प्रतिवादी कमांक—1 के द्वारा बजरूसिंह के 1/2 अंश से अधिक भूमि का विकय कर दिये जाने से बीरसिंह के वारसान को प्राप्त अंश में में कुछ भूमि का रकबा कम हो गया है। जिसके संबंध में वादगण की ओर से उक्त विकय पत्र को चुनौंती न देकर आदेश 2 नियम 2 व्य.प्र.सं. के अन्तर्गत उक्त दावे का परित्याग किया गया है। ऐसी परिस्थित में विवादित भूमि में से शेष बचे हुए रकबे पर केवल वादीगण का ही अंश एवं स्वत्व प्राप्त होना प्रकट होता है।

प्रकरण में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल पुरूष मंगलिसंह की फौती उपरांत उसके दो पुत्र बजरूसिंह एवं बीरिसंह को विवादित भूमि वारसान हक में प्राप्त हुई। बजरूसिंह एवं बीरिसंह ने उक्त विवादित भूमि संयुक्त रूप से प्राप्त की, किन्तु विवादित भूमि पर बजरूसिंह एवं बीरिसंह को विधिक रूप से आधा—आधा अंश का स्वत्व प्राप्त होना प्रकट होता है। ऐसी दशा में बजरूसिंह के वारसान के रूप में प्रतिवादी कमांक—1 से 11 एवं 13 से 16 को विवादित भूमि पर 1/2 अंश एवं बीरिसंह के वारसान के रूप में सुकमन को 1/2 अंश का स्वत्व प्राप्त होता है। सुकमन की फौती उपरांत वादीगण को विवादित भूमि पर वारसान हक में 1/2 अंश का स्वत्व प्राप्त होता है। सुकमन की फौती उपरांत वादीगण को विवादित भूमि पर वारसान हक में 1/2 अंश का स्वत्व प्राप्त है।

20— प्रतिवादी क्रमांक—1 को विवादित भूमि पर बजरू सिंह के 1/2 अंश में से भूमि विक्रय करने का अधिकार था, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक—1 ने न केवल बजरू सिंह के 1/2 अंश की भूमि का विक्रय कर दिया, बल्कि शेष बचत भूमि बीरसिंह के 1/2 अंश में से भी कुछ रकबा विक्रय किया है। ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक—1 के द्वारा विवादित भूमि के 1/2 अंश में से उसके अंश से अधिक भूमि का विक्रय किये जाने पर उक्त विक्रय की जानकारी होते हुए भी बजरूसिंह के किसी वारसान ने चुनौती नहीं दी है। प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य एवं परिस्थिति से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि प्रतिवादी क्रमांक—1 के द्वारा विकय की गई भूमि के संबंध में बजरूसिंह के शेष वारसान सहमत रहे है, इस कारण विक्रय की गई भूमि को बजरूसिंह के वारसान के अंश में से मुजरा किया जा सकता है जबिक उक्त विक्रय के पश्चात् शेष बचत रकबा पर वादीगण को एकमात्र स्वत्व प्राप्त होता है। यद्यपि वादीगण ने विवादित भूमि के मात्र खसरा नम्बर 82 रकबा 17.30 एकड़ भूमि पर ही स्वत्व की घोषणा का अनुतोष चाहा है। ऐसी दशा में वादीगण खसरा नम्बर 82 रकबा 17.30 एकड़ भूमि पर ही स्वत्व की घोषणा पाने के हकदार है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक—1 व 2 वादीगण के पक्ष में 'प्रमाणित' के रूप में निराकृत किये जाते है।

## वादप्रश्न क्रमांक 3 का निराकरण

- 21— वादीगण के अभिवचन के अनुरूप वादी गुरूदयाल (वा.सा.1), साक्षी सुक्कलिसंह (वा.सा.2), प्रेमिसंह (वा.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किये है कि विवादित भूमि के आधे बचे हिस्से में वादीगण लगभग 20 वर्ष से काबिज काश्त है। विवादित भूमि के खसरा नम्बर 82 रकबा 17.30 एकड़ भूमि में प्रतिवादीगण अवैध रूप से प्रवेश कर दखल अंदाजी कर रहे है। साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में उक्त कथन का प्रतिवादी पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है तथा साक्षीगण अपने कथन में अडिग एवं स्थिर रहे है। वादीगण के अभिवचन एवं प्रस्तुत साक्ष्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि वादीगण के आधिपत्य वाली खसरा नम्बर 82 रकबा 17.30 एकड़ भूमि में प्रतिवादीगण अवैध रूप से प्रवेश कर दखल अंदाजी कर रहे है।
- 22— विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के साथ वादीगण के पिता सुकमन का नाम संयुक्त स्वामी के रूप में दर्ज चला आ रहा है किन्तु प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख व साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि के अपने अंश का विकय होने से स्वत्व खो चुके है। ऐसी दशा में मात्र राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण का नाम संयुक्त स्वामी के रूप में दर्ज होने से प्रतिवादीगण को विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। वास्तव में प्रतिवादीगण की स्थित विवादित भूमि के सहस्वामी की नहीं रही है। ऐसी दशा में

वादीगण को उनके वारसान हक में प्राप्त एवं आधिपत्य वाली भूमि पर प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु निषेधित किया जाना उचित होगा। अतएव वादप्रश्न कमांक—3 वादीगण के पक्ष में 'प्रमाणित' के रूप में निराकृत किया जाता है।

## सहायता एवं व्यय

- 23— वादीगण ने यह प्रमाणित किया है कि विवादित भूमि के शेष बचे रकबे पर उनका एकमात्र स्वत्व है। यद्यपि वादीगण ने विवादित भूमि के मात्र खसरा नम्बर 82 रकबा 17.30 एकड़ भूमि पर ही स्वत्व की घोषणा का अनुतोष चाहा है। ऐसी दशा में वादीगण खसरा नम्बर 82 रकबा 17.30 एकड़ भूमि पर ही स्वत्व की घोषणा एवं निषेधाज्ञा पाने के हकदार है। अतएव वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है :—
  - (1) वादीगण को मौजा ढीपुर प.ह.न.—8, रा.नि.मं. व तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 82 रकबा 17.30 एकड़ भूमि पर एकमात्र स्वत्व प्राप्त है।
  - (2) प्रतिवादी क्रमांक—1 से 16 को वादीगण की स्वत्व व आधिपत्य वाली उक्त भूमि पर विधि की सम्यक् प्रक्रिया अपनाये बगैर स्वयं एवं अन्य व्यक्ति के माध्यम से हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।
  - (3) उभयपक्ष अपना—अपना वादव्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी। उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर (सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर